रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232138
CG-DL-E-27122021-232138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
No. 672] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

फा. सं. 18–37 / 13660–आईएनसी.—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

चूंकि, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2015 की अधिसूचना के माध्यम से मदरहुड यूनिवर्सिटी, रुड़की देहरादून रोड, ग्राम करौंदी, पोस्ट भगवानपुर हरिद्वार, रुड़की–247661, उत्तराखंड को विभिन्न योग्यताएं प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।

और चूंकि, मदरहुड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2017 में भारतीय उपचर्या परिषद् से भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत मदरहुड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित नर्सिंग योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया था।

और चूंकि, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 18–19 अगस्त 2017 को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत मदरहुड यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कुछ कमियां इंगित की गई थीं।

और चूंकि, भारतीय उपचर्या परिषद् को मदरहुड यूनिवर्सिटी से भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत संचालित योग्यताओं की मान्यता वापस लेने के लिए दिनांक 07 मई 2019 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसका कारण नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों की संख्या कम बताई गई थी।

इसलिए, मदरहुड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित योग्यताओं की मान्यता को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(ए) के संदर्भ में एतद्द्वारा दिनांक 05 फरवरी 2020 से वापस लिया जाता है।

अतएव यह घोषित किया जाता है कि मदरहुड यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में प्रदत्त कोई भी योग्यता तभी मान्य होगी, जबकि वह दिनांक 05 फरवरी 2020 से पहले दी गई हो।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./535/2021-22]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2021

F. No. 18-37/13660-INC..—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Uttarakhand vide Notification dated 19.01.2015 had granted recognition to Motherhood University, Roorkee Dehradun Road, Village Karoundi, Post – Bhagwanpur Haridwar, Roorkee – 247661, Uttrakhand to grant various qualifications.

And whereas, the Motherhood University had applied to Indian Nursing Council in 2017 to seek recognition of the nursing qualification granted by the Motherhood University under Section 10 of the Indian Nursing Council Act (INC Act).

And whereas, the Indian Nursing Council conducted inspection of the Motherhood University under the Section 13 of the INC Act on 18-19/08/2017 wherein certain deficiencies were pointed out.

And whereas, letter dated 07.05.2019 was received by Indian Nursing Council from Motherhood University for withdrawing the recognition of qualification applied under Section 10 of the INC Act as there was low turnout of aspirants for Nursing Courses.

Hence, therefore, the recognition of qualification granted by Motherhood University is hereby withdrawn w.e.f. 05.02.2020, in terms of Section 14 (3)-a of the Act.

It is declared that any qualification in the field of nursing granted by Motherhood University shall be treated as recognized qualification only if it was given prior to 05.02.2020.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./535/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2021.12.27 19:41:16 +05'30'